FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– **अपीलीय अधि0 एवं जिला कलक्टर** मुकाम **अजमेर**

अंजना शर्मा **बनाम** लोक सूचना अधि0 एवं जिला रसद अधिकारी अजमेर

किस्म मुकदमा–सूचना का अधिकार अधि.–2005 **प्रकरण संख्या 69 सन् 2019**

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/9/19	जिला कलक्टर, अजमेर पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट की अपील का मूल आवेदन, पत्रादि सहित अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, अजमेर द्वारा अपील के सन्दर्भ में वांछित टिप्पणी स्मरण पत्र के बावजूद आज दिनांक तक प्रेषित नहीं की है, जो खेदजनक है। जिला रसद अधिकारी द्वितीय, अजमेर को निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध, देय सूचना/विनिश्चय से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अपने कार्यालय में सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त पत्रादि/आवेदनों का व्यवस्थित संधारण करें ताकि अपीलोत्तर एवं सूचना प्रदान करने में विलम्ब ना हों। अपील, अपीलान्ट इसी कदर से निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। WSharma (विश्व मोहन शर्मा) जिला कलक्टर, अजमेर	

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner